

Sub Registry Office, Danapur
Receipt for search, inspection and copy

Misc token no. *Abhishek Kumar* Serial no. *1732*
Year _____ Date *12/2/2020*
Received from _____
Following fees:
F (i)- 0 F (iii)- 0 G- 0
F (ii)- 0 F (iv)- 0 G(a)- 0
Total- 0 *320/-*

[Signature]
Registering Officer

579 संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 19 आवेदन सं० 1732 12-27-83
 चीक श्री Abhishek Kumar

मे मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्बंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बहों में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2006-07-11 तक मैं ता० 19-08-2007 तक तलासी की गयी और ऐसी तलासी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला

चला है अतः संपत्ति तृण अवभार से मुक्त है।

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mauza ————— Danapur							
	Thana No ————— 21							
	Khata No ————— 222, 268							
	SV Plot / Khessa No — 1695, 1696, 1697, 1698							
	Area of Land — 31.2499 Decimals.							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
 2. संशुद्ध पत्र की प्रिंट काटकर उसे कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। ध्यान दें उनके बारे में उल्लेख तो।
 3. पट्टे की प्रिंट में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।
- यहाँ एक प्रमाणित करता है कि उपर्युक्त संख्याधारों और अवधियों की ओर एक संशुद्ध की प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संभव्यता और अवधार का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

तलाशी कर परमाणु और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर):

(पदनाम):

कार्यालय: — Danapur

तारीख: 12/2/2020



टिप्पणी:— उप प्रमाण-पत्र में जो संख्याधार और अवधार दिखाये गये हैं, आवेदन द्वारा प्रस्तुत गोपनीय विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किसी किन्हीं संशुद्धों को विहित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वेसी दस्तावेजों से प्रमाणित संख्याधार (ग्रांथ-संख्याधार) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा 10 के अर्थों में कर (काहरी) और अनुप्रामाणियों (इन्डेन्स) को पंजीयन दर्जना, बाकरी को अथवा इनको प्रतिनिधि केना चलाने हैं किन्हीं निहित अधिनियमों के अवधारों के प्रमाण, पत्रों को प्रमाण हो उनके तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित धर्म का भुगतान करने पर बहिरी और पंजीयनकर्ता को उनके पत्रों को प्रमाणित करनी होगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिए आभासिक अपेक्षित तलासी प्रमाण को प्रमाण मूल के विधि चिन्ता की तरह विधेय नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद हुई गये संख्याधारों और अवधारों को स्थापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिखा है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा दूँडे गये गये संख्याधारों और अवधारों को धूर के लिए किसी भरा विधेयदार न होगा जिससे एक गोपनीय पर प्रमाण बढता हो।

कार्यालय, अतिरिक्त निबंधन कार्यालय: **धनपुर**

ज्ञाप संख्या: **517** दिनांक: **18/2/2020**

आवेदक श्री **Abhishek Kumar**

का अवधार प्रमाण-पत्र द्वारा **Bank of Baroda (S.M.S.) Patna.**

का उनके पत्र संख्या: दिनांक: के प्रमाण में अवधारणित की जाया है।

निबंधन पदाधिकारी